बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालित होने वाली राज्य सम्पोषित "मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना"

1) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

राज्य सम्पोषित **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण रोजगार ऋण योजना** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के पाँच समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी) के व्यक्तियों को लाभांवित करने हेतु संचालित की जायेगी। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को विभिन्न योजनाओं/व्यवसायों में अधिकतम 5 लाख रूपये तक ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी।

2) योजना की रूप रेखा

i) योजना के कार्यावयन हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना मद में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रूपये की दर से कुल 125 करोड़ रूपये की राशि हिस्सा पूँजी के रूप में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा जो वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की अवधि में प्राप्त होगी।

ii) **राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध करायी गयी राशि में प्रत्येक वर्ष मुख्य मंत्री** अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत ऋण वितरित किया जायेगा। इस योजना में वितरित ऋण राशि की वसूली रकम (मूल धन) का उपयोग पुनः इस योजना में ऋण वितरण करने हेतु Revolving fund के रूप में उपयोग किया जायेगा।

iii) इस योजना में उपलब्ध निधि के विरूद्ध अर्जित ब्याज, लाभुकों से प्राप्त ब्याज की राशि तथा प्रोसेसिंग चार्च के मद में प्राप्त राशि का उपयोग प्रशासनिक व्यय, डिलेभरी कॉस्ट एवं अन्यान्य व्यय के मद में किया जायेगा।

iv) इस योजना के निमित द्वारा अलग से बैंक खाता का संचालन एवं संधारण किया जायेगा।

v) लाभन्वितों के चयन हेतु प्रमण्डल स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :

क) प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण – अध्यक्ष

ख) सम्बन्धित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
या उक्त पद रिक्त होने की स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी – सदस्य

ग) सम्बन्धित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी – सदस्य

घ) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रमण्डलीय प्रभारी – सदस्य–सचिव

बैठक में कोरम के लिए अघ्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 2 (दो) सदस्यों का होना अनिवार्य है। अघ्यक्ष की अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थिति होने पर उपस्थित सदस्यां में से वरीयतम के द्वारा अघ्यक्षता की जाएगी ।

इस चयन समिति द्वारा लाभांवित होने वाले ऋणावेदकों का उनसे प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर चयन किया जायेगा, जिन्हें ऋण की स्वीकृति देकर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा राशि विमुक्त की जायेगी ।

3) चयन की प्रक्रिया

i) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में इस योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय में जमा करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

ii) प्रमण्डलीय कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध कर ऋणावेदकों का स्थल निरीक्षण एवं उनके द्वारा समर्पित कागजात का सत्यापन और अनुशंसा के साथ स्थल जाँच प्रतिवेदन चयन समिति की बैठक में रखने हेतु तैयार किया जायेगा

iii) निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय द्वारा चयनित ऋणावेदकों से कागजीकरण यथा शपथ पत्र, अनुबन्ध पत्र, गारन्टी बॉण्ड, हाइपोथिकेशन प्रपत्र निष्पादित कराया जायेगा, जिसपर निगम की ओर से प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4) योजना के लाभांवितों हेतु पात्रता मापदण्ड

i) आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिये।

ii) आवेदक बिहार के उसी जिला का निवासी हो, जहाँ ऋण के द्वारा परिसम्पत्तियाँ सृजित की जानी है।

iii) आवेदक सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो।

iv) आवेदक अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा पारसी समुदाय का हो। मुस्लिम को छोड़ कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बंधित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो।

v) आवेदकों के पारिवारिक वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक न हो।

vi) ऋणावेदक के पारिवारिक वार्षिक आय एवं आवास से सम्बंधित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डलाधिकारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना होगा।

5) ब्याज दर

i) इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी तथा योजना लगाने हेतु तीन माह की स्थगन अवधि (moratorium) मानी जायेगी और इस (moratorium period) को ब्याज मुक्त रखा जायेगा।

ii) इस योजना के निमित चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्च के रूप में 0.5% शुल्क लिया जायेगा।

iii) लाभुकों द्वारा निर्धारित समय में किस्तों का भुगतान कर पूर्ण राशि वापस किया जाता है तो उन्हें देय ब्याज में 0.5% की छूट दी जाएगी।

6) **दण्ड ब्याज**

i) लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात उनसे निगम द्वारा देय किस्तों की राशि पर दण्ड ब्याज के रूप में अतिरिक्त 1% वसूली की जाएगी।

7) **ऋण की वापसी**

i) लाभार्थियों से 20 समान त्रैमासिक किस्तों में मूल धन व ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जायेगा।

8) **गारन्टर/एकरारनामा**

i) ऋणग्रहिता से 100/– रूप्ये के नन जुडिसियल/एडहेसिभ स्टाम्प पर एकरारनामा (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा।

ii) निम्नांकित गारन्टर से 100/– रूपये के नन जुडिसियल/एडहेसिभ स्टाम्प पर गारन्टी बॉण्ड (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा :

क)	1 लाख रूपये तक की ऋण राशि –	ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारन्टी या किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान/अन्य सम्बन्धित दस्तावेज हो, से गारन्टी बाण्ड निष्पादित कराते समय उसकी छायाप्रति समर्पित करेंगे।
ख)	1,00,001 रूपये से 5 लाख रूप्ये की ऋण राशि तक –	एक सरकारी / अर्द्ध सरकारी / बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो)/आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी के समतुल्य अचल सम्पति का बन्धेज (Equitable Mortagage) के साथ गारन्टी बाण्ड निष्पादित करना होगा।

iii) ऋण वापसी हेतु लाभार्थी से किसी बैंक (सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) का कम से कम 10 अधिकतम 20 उत्तरदिनांकित चेक लिया जायेगा। साथ ही लाभार्थी से विहित प्रपत्र में शपथ पत्र एवं 20 रूपये का एडहेसिभ स्टाम्प पर हाईपोथिकेशन निष्पादित कराया जायेगा।

9) **ऋण की स्वीकृति**

i) निगम मुख्यालय द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत कर प्रमंडलीय कार्यालय के माध्यम से चेक द्वारा ऋण राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि स्वीकृत राशि के

विरूद्ध मशीन/उपकरण/उपस्कर/सामग्री के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रूपये या उससे अधिक हो, तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन/प्रोफोर्मा बिल समर्पित किया जायेगा, जिसकी आपूर्ति हेतु सीधे विक्रेता के नाम रेखांकित चेक के माध्यम से निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा।

ii) यदि मशीन/उपकरण/उपस्कर/सामग्री इत्यादि के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रूपये से कम हो तो निगम द्वारा स्वीकृत राशि रेखांकित चेक के माध्यम से सीधे लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा।